



27

4

70

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. /17-18 निगरानी

PBA/निगरानी/उज्जैन/भूखरा/2018/0552

1. रूगनाथसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह, आयु-65 वर्ष,
2. रणजीतसिंह पिता रूगनाथसिंह, आयु-40 वर्ष,
3. राजेन्द्रसिंह पिता रूगनाथसिंह, आयु-30 वर्ष,
धंधा-कृषि, निवासीगण-ग्राम बोड़ानी तहसील व जिला उज्जैन

.....प्रार्थीगण

---विरुद्ध---

1. भारतसिंह पिता मानसिंह, आयु-48 वर्ष,
निवासी-ग्राम ताजपुर, तहसील व जिला उज्जैन
2. ईश्वरसिंह पिता मानसिंह, आयु-48 वर्ष,
निवासी-पालखन्दा तहसील व जिला उज्जैन
3. पुष्पेन्द्रसिंह पिता रामसिंह, आयु-50 वर्ष,
निवासी-ग्राम कचनारिया, तहसील व जिला उज्जैन
4. श्रीमती मंजूबाई पति नारायणसिंह, आयु-33 वर्ष,
निवासी-ग्राम बोड़ानी तहसील व जिला उज्जैन

.....प्रतिप्रार्थीगण

अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन के प्रकरण क्रं. 21/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2017 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी याचिका प्रस्तुत है-

1. यह कि प्रत्यर्थी क्रं. 1 लगायत 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम बोड़ानी तहसील व जिला उज्जैन में स्थित भूमि सर्वे क्रं. 44/2/1/1 रकबा 0.160 हे. सर्वे क्रं. 44/2/2/2 रकबा 0.100 हे., सर्वे क्रं. 45 रकबा 1.740 हे., सर्वे क्रं. 103/2 रकबा 1.400 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 3.400 हे. को प्रतिप्रार्थी क्रं. 4 से विक्रय पत्र दिनांक 28-03-2013 द्वारा क्रय करने ओर न्यायालय अष्टम सिविल जज वर्ग-2 उज्जैन के प्रकरण क्रं. 46-ए/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09-03-2016 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी क्रं. 1 के भूमि स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रं. 44/2/1/1, सर्वे क्रं. 45, सर्वे क्रं. 103/2 कुल रकबा 3.30 हे. ग्राम बोड़ानी में स्थित है। प्रार्थी क्रं. 2 व 3 के स्वामित्व पत्र

17-1-18


24-1-18

विषय-
श्री. अश्विन शर्मा
अभिप्राय अर्थात्
उज्जैन पत्र पालिका
17-1-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/552

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	